न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

केस नं0 – 85/2024

प्रकरण : –

1. करणसिंह पुत्र पूनमचन्द जाति नाई निवासी झांसल तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरेवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :– श्री वेदप्रकाश प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 10/2/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 21/19 के मु0 न0 77 के किला न0 20, 21, 22, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 1.012है0 नहरी कृषि भूमि में करणीसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व रोही चक 5 जेएसएल के खाता सं0 274/20 के मु0 न0 111 के किला न0 5, 6/1 मु0 न0 112 के किला न0 1, 10/1 कुल 0.8100है कृषि भूमि में करनीसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें रोही चक 3 एएमएस के खाता सं0 21/19 में प्रार्थी के सही नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द के स्थान पर पर अशुद्ध नाम करणीसिंह पुत्र पूनमचन्द दर्ज है, इसी प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सख्यां 274/20 में प्रार्थी का सही नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द के स्थान पर अशुद्ध नाम करनीसिंह पुत्र पूनमचन्द दर्ज है

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी ने कथन किया कि रोही चक 3 एएमएस के खाता सं0 21/19 में प्रार्थी के सही नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द के स्थान पर पर अशुद्ध नाम करणीसिंह पुत्र पूनमचन्द दर्ज है इसी प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सख्यां 274/20 में प्रार्थी का सही नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द के स्थान पर अशुद्ध नाम करनीसिंह पुत्र पूनमचन्द दर्ज है अतः उक्त दोनों खाता में प्रार्थी का नाम करणीसिंह पुत्र पूनमचंद व करनीसिंह पुत्र पूनमचंद के स्थान पर पर प्रार्थी का सही नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:39:08 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात, ग्राम पंचायत झांसल

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 21/19 के मु0 न0 77 के किला न0 20, 21, 22, 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 कुल 1.012है0 नहरी कृषि भूमि में करणीसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व रोही चक 5 जेएसएल के खाता सं0 274/20 के मु0 न0 111 के किला न0 5, 6/1 मु0 न0 112 के किला न0 1, 10/1 कुल 0.8100है कृषि भूमि में करनीसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त दोनों खातों में प्रार्थी के सही नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द के स्थान पर पर अशुद्ध नाम करणीसिंह व करनीसिंह दर्ज है **उक्त दोनों खातों में प्रार्थी का नाम करणीसिंह पुत्र पूनमचन्द व करनीसिंह पुत्र पूनमचन्द की जगह सही नाम करणसिंह पुत्र पूनमचन्द दर्ज** किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि करणीसिंह व करनीसिंह पुत्र पूनमचन्द के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम करणीसिंह व करनीसिंह पुत्र पूनमचन्द ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 10/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:39:08 IST
Reason: SelfAttested